/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

/ **पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.** प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 01/21 प्रा-पत्र (कापड़िया)
1- श्री केसु s/o श्री मांगू भील निवासी- आवलास तहसील- माण्डल --प्रार्थी

बनाम

1- श्री लेहरू s/o श्री उदेराम खारोल निवासी- बावलास तहसील- मांडल (मौजा) --विपक्षीगण
2- श्री हजारी s/o श्री बुलहा भील निवासी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 29-11-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......कापड़िया......पटवार हल्का......आवलास......तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.......1138/968......कुल किता ......01...... रकबा......0.5059......हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......29-11-21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......कापड़िया...... पटवार हल्का......आवलास......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......1138/968...... ......कुल किता ......01......रकबा......0.5059......हेक्टेयर......—...... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......धापरास......को ......500/-....../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । [illegible] पत्थरगढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:31:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021